महत्वपूर्ण एवं खास

प्राकृतिक आपदा में हुई असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़। प्राकृतिक आपदा के तहत दो लोगों की असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात एसडीएम घरघोड़ा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इनमें तहसील तमनार के ग्राम-जिवरी निवासी आकृति गुप्ता की 1 सितम्बर 2020 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पिता जयकुमार को 4 लाख रुपये तथा तहसील घरघोड़ा के ग्राम-पोरडा निवासी सुकलाल धोबा की 25 अप्रैल 2021 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी रत्ना धोबा को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

देवारपारा वार्ड में स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन आज सुबह 10.30 से

रायगढ़। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामभांठा रायगढ़ अंतर्गत देवारपारा वार्ड क्रमांक 36 रायगढ़ में 6 अक्टूबर 2021 को आउटरीच कैम्प का आयोजन प्रातः10.30 बजे से किया जाएगा। आउटरीच कैम्प में चिकित्साधिकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ.काकोली पटनायक, चिकित्साधिकारी आर.बी. एस. के. डॉ.फणीन्द्र कुमार भौना, फिजियोथेरेपिस्ट डॉ.भावना, स्टाफ नर्स कु.रविता मंजरी लकड़ा, लेब टेक्नीशियन श्रीमती माधुरी पण्डा, फार्मासिस्ट प्रीति भगत, सुपरवाईजर शहरी क्षेत्र श्रीमती रेखा सेना गुप्ता, नेत्र सहायक अनूप पटेल, आर.एच.ओ.श्री लक्ष्मण झरिया, ए.एन.एम.कु.अंजली पटेल एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रघुनाथ खड़िया की ड्यूटी लगाई गई है।

हॉकी, तीरंदाजी व एथलेटिक्स का राज्य स्तरीय चयन ट्रायल बिलासपुर में 7 से 13 अक्टूबर तक

रायगढ़। छ.ग.शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई बिलासपुर में संचालित होने वाली राज्य खेल अकादमी (हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स) तथा स्व.श्री कोदूराम वर्मा स्मृति धनुर्विद्या अकादमी रायपुर में खिलाड़ियों के प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन 7 से 13 अक्टूबर तक राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई बिलासपुर में किया जाएगा। इसमें 9 से 17 वर्ष के जिला स्तरीय चयन ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों को ही भाग लेने का मौका मिलेगा। जिसमें जिला रायगढ़ से हाकी में 10 बालक, एथलेटिक्स में 6 बालक एवं 6 बालिका तथा तीरंदाजी में 3 बालक खिलाड़ियों को उक्त राज्य स्तरीय चयन ट्रायल में भाग लेने का मौका मिला है।

डॉ.खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए कृषकों से 15 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। छ.ग.शासन द्वारा वर्ष 2021 हेतु डॉ.खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए कृषकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिले के कृषक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 15 अक्टूबर 2021 तक कार्यालय उप संचालक कृषि विभाग रायगढ़ में जमा कर सकते है। नियमानुसार प्राप्त आवेदनों के अभिलेखों आदि का सत्यापन/परीक्षण जिला कलेक्टर के माध्यम से अधिकतम तीन चयनित कृषकों का आवेदन 16 अक्टूबर 2021 तक संचालनालय कृषि छ.ग.रायपुर को प्रेषित किया जाएगा।

कवर्धा शहर में कर्फ्यू लागू

कवर्धा (आरएनएस)। कबीरधाम कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने लोक शांति बनाए रखने के लिए सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र कवर्धा में कर्फ्यू लगा दिया है। अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर नगर के कोई भी नागरिक अपने घर से बाहर नही निकलेंगे। कवर्धा शहरी क्षेत्र में पहले से धारा - 144 लागू है। कलेक्टर ने आम नागरिकों से शांति,संयम बरतने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्रवण बाधित (दिव्यांगजनो) के लिए आज प्लेसमेट कैम्प का आयोजन

रायपुर (आरएनएस)। विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा श्रवण बाधित (दिव्यांगजनो) के लिए 6 अक्टूबर बुधवार को प्लेसमेट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह कैम्प दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक संचालित होगा। कैम्प के माध्यम से वेटर पद के लिए भर्ती की जायेगी। विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर की उप संचालक ने बताया कि यह कैम्प पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के बाजू रायपुर में आयोजित होगा।

किसानों का राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जल्द पूरा करें पंजीयन-कलेक्टर

» कलेक्टर सिंह ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जिले में अब तक हुए पंजीयन की जानकारी ली। पंजीयन की धीमी गति को लेकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। सभी आरएईओ से किसानों के फार्म भरकर जल्द समितियों में उपलब्ध कराने के निर्देश उप संचालक कृषि को दिए। जिससे किसानों के पंजीयन का कार्य तेजी से पूरा किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने शासन के नये निर्देशों जिसमें योजनान्तर्गत फसलों का दायरा बढ़ाया गया है इसका भी व्यापक प्रचार-प्रसार ग्राम स्तर पर करने के निर्देश दिए ताकि सूचीबद्ध फसल लेने वाले किसान योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन करवा सके। साथ ही उप पंजीयक सहकारिता को प्राप्त आवेदनों के आधार पर किसानों का तेजी से पंजीयन पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पंजीयन में भी तेजी लाने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए। शेष बचे गिरदावरी कार्य को भी जल्द पूरा करने के लिए कहा।

कलेक्टर सिंह ने राजस्व के ई-नामांतरण के प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की। पुसौर, घरघोड़ा, सारंगढ़, तमनार तहसील में ई-नामांतरण के प्रकरणों के धीमे निराकरण पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई तथा सभी संबंधित तहसीलदार को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों में प्रकरण दो साल से अधिक समय तक लंबित नहीं होने चाहिए। जिस भी अधिकारी के प्रकरण लंबित पाये जायेंगे उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने समय-सीमा से बाहर के प्रकरणों के लंबित होने पर गहरी नाराजगी जताई तथा जल्द सभी प्रकरणों का निराकरण करवाने के निर्देश ई-डिस्ट्रिक मैनेजर को दिए।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में गोधन न्याय योजना के संचालन की समीक्षा की। उन्होंने गौठानों में तैयार वर्मी कम्पोस्ट का उठाव व भंडारण करवाने के निर्देश दिए। जिन स्थानों पर गौठान के लिए स्वीकृत भूमि पर अतिक्रमण है उसे तत्काल हटवाने के निर्देश उन्होंने दिए। गौठानों में चारागाह विकास के तहत रोपे नेपियर तथा अन्य हरा चारा का क्षेत्र बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग को निर्देशित किया। साथ ही चारागाह में सिंचाई की नियमित व्यवस्था भी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने गौठानों में संचालित मल्टी एक्टीविटी गतिविधियों पर विभागवार चर्चा की तथा स्वावलंबी गौठानों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त एस.जयवर्धन, डीएफओ धरमजयगढ़ मणिवासगन एस, डीएफओ रायगढ़ प्रणय मिश्र, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

टाईम लाईन के साथ मेडिकल कालेज का काम जल्द करें पूरा- कलेक्टर भीम सिंह ने मेडिकल कालेज भवन के निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यपालन अभियंता पी.डब्लूडी को टाईम लाईन देते हुए सभी काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला चिकित्सालय के लिए दवाईयों तथा दूसरे कन्ज्यूमेबल आईटम्स की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही नेत्र रोग विभाग को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत जिले में भ्रमण कर किए जाने वाले आंख की जांच व सर्जरी के लिए एक डेडीकेटेड वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पताल से बायोमेडिकल तथा अन्य वेस्ट का नियमित उठाव के निर्देश नगर निगम को दिए।

निर्माण से जुड़े सभी विभाग कार्यों में लायें तेजी- कलेक्टर सिंह ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में लेबोरेट्री का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों से जुड़े सभी विभागों से कहा कि अब बारिश कम हो रही है अतः निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए समय-सीमा के भीतर सभी काम पूरे किए जाए। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत लगने वाले हेल्थ कैम्प में मरीजों की जांच के साथ आवश्यकतानुसार उनके टेस्ट भी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। सस्ती दवा दुकान की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दुकानों का संचालन जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। माहवारी स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे पावना अभियान के तहत जिले में महिलाओं को उपलब्ध कराये जाने वाले सेनेटरी पेड की मासिक खपत के अनुसार उत्पादन बढ़ाने के निर्देश उन्होंने अभियान प्रभारी को दिए।

जल, जंगल, जमीन बचाने हसदेव बचाओ पदयात्रा शुरू

कोरबा (आरएनएस)। जल, जंगल, जमीन बचाने हसदेव बचाओ पदयात्रा सोमवार को मदनपुर से शुरू हुई। पदयात्रा उसी जगह से शुरू की गई, जहां वर्ष 2015 में राहुल गांधी पहुंचे थे। यहां और ग्रामीणों की सभा में जल, जंगल, जमीन को बचाने संकल्प लिया था। यह पदयात्रा 10 दिन में पूरी होगी।

इसमें शामिल लोग 300 किमी तक पैदल चलते हुए राजधानी रायपुर पहुंचेगे। पहले ग्रामीणों ने यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किसानों को श्रद्धांजलि दी और केंद्र की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। वहीं हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष उमेश्वर सिंह आर्मो ने कहा कि ये दुख की बात है कि आदिवासी हितों का खुद को रक्षक बताने वाली पार्टी, राजनीतिक दल के सत्ता में होने के बावजूद भी उनको अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह पदयात्रा करनी पड़ रही है।

संघर्ष समिति ने तीनों किसान विरोधी कृषि कानूनों को तत्काल रद्द करने की मांग रखी। इसके साथ ही हसदेव अरण्य क्षेत्र की सभी कोयला खनन परियोजना निरस्त करने, बिना ग्रामसभा की सहमति के हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल बेयरिंग एक्ट 1957 के तहत किए गए सभी भूमि अधिग्रहण को निरस्त करने, पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी कानून से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के पूर्व ग्रामसभा से अनिवार्य सहमति के प्रावधान को लागू करने, फर्जी प्रस्ताव बनाकर हासिल की गई वन स्वीकृति को निरस्त करने व ग्रामसभा का फर्जी प्रस्ताव बनाने वाले अधिकारी व कंपनी पर एफआईआर करने, पेसा एक्ट का पालन सहित अन्य मांगे रखी। इस दौरान किसान सभा के जवाहर सिंह कंवर, प्रशांत झा, दीपक साहू, जय कौशिक सहित हसदेव अरण्य क्षेत्र के सभी सरपंच व जनपद सदस्य उपस्थित रहे।

छात्रावास एवं आश्रमों के लिए एएनएम/ नर्स के लिए 12 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों में निवासरत बालिकाओं के स्वास्थ्य सुविधा हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रशिक्षित ए.एन.एम./नर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदिका अपना आवेदन पत्र समस्त शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति के साथ 12 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा, रायगढ़ में जमा कर सकते है।

इस योजना का प्रमुख लक्ष्य छात्रावास/आश्रमों में स्वास्थ्य सुविधा हेतु बालिकाओं को होने वाली विभिन्न बीमारियों एवं परेशानियों से अवगत कराना, उनके निवारण के संबंध में आवश्यक चिकित्सकीय ज्ञान बालिकाओं को देना, उनके दैनिक जीवन में होने वाले परेशानियों से अवगत कराना तथा उनके रहन-सहन एवं भोजन आदि के क्षेत्र में आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा। आवेदिका महिला को अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही होना अनिवार्य है तथा वह छ.ग.का मूल निवासी हो। आवेदिका को 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। आवेदिका को किसी शासकीय संस्था/ महाविद्यालय/ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में पत्रोपाधि या आवेदक को 18 माह का प्रशिक्षण शासकीय/शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण होना चाहिए। छ.ग.नर्सिंग काऊसिलिंग में आवेदिका को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पर पंजीकृत होना चाहिए। विभागीय छात्रावास/आश्रम में सहायक अधीक्षिक के रूप में परिसर में ही निवास करने एवं अन्य विभागीय दायित्वों के निर्वहन करने एवं समस्त नियम शर्तो के पालन करने की अभिस्वीकृति देते हुए इस संबंध में उसे 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा, रायगढ़ में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क कर सकते है।

शारदीय नवरात्र 7 से, शक्ति की पूजा का पर्व जोर शोर से मनाएंगे श्रद्धालु

» डोंगरगढ़ एवं रतनपुर में माई के दर्शन के लिए कोरोना टीकाकरण की होगी जांच

रायपुर (आरएनएस)। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देश एवं प्रदेश में आदिशक्ति का पर्व शारदीय तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ पड़ने के कारण 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि 14 अक्टूबर को संपन्न होंगे। 15 अक्टूबर को विजयादशमी (दशहरा) का त्योहार मनाया जाएगा। कोरोना की छाया के बीच गत दो वर्षों से भक्त माता के दरबार डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी एवं रतनपुर स्थित महामाया मंदिर के पट बंद होने के कारण दर्शन से वंचित थे। इस वर्ष कोरोना की रफ्तार धीमी होने के कारण राज्य शासन ने दोनों ही स्थलों में होने वाले मेले के आयोजन को रद्द कर सोशल डिस्टेसिंग के साथ माता के दर्शन के लिए 7 से 15 अक्टूबर के मध्य

भक्तों के कोरोना टीकों की जांच के उपरांत ही श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन की अनुमति दी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार असुरों के वध के लिए ब्रम्हा एवं शंकर जी के नेतृत्व में समस्त देवताओं की संचित शक्तियों के प्रकाशपुंज से आदिशक्ति मां दुर्गा का स्वरूप निर्मित हुआ। माता के नौ रूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि की उपासना से जहां श्रद्धालुओं को अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है वहीं नौ दिन उपवास करने से माता भक्तों के दुःख हरती है।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस साल नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे में मां दुर्गा की सवारी पालकी होगी। मां दुर्गा पालकी या डोली से आएंगी और हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी।

घटस्थापना का शुभ मुहूर्त- नवरात्रि में घट स्थापना या कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि में घटस्थापना का शुभ समय सुबह 06 बजकर 17 मिनट से सुबह 7 बजकर 7 मिनट तक ही है। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन यानी 7 अक्टूबर, गुरुवार को ही की जाएगी।

माता की पूजा में लगने वाली पूजन सामग्री- मां दुर्गा की प्रतिमा या फोटो, सिंदूर, केसर, कपूर, धूप,वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन-चूड़ी, सुगंधित तेल, चौकी, चौकी के लिए लाल कपड़ा, पानी वाला जटायुक्त नारियल, दुर्गासप्तशती किताब, बंदनवार आम के पत्तों का, पुष्प, दूर्वा, मेंहदी, बिंदी, सुपारी साबुत, हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, पांच मेवा, घी, लोबान,गुग्गुल, लौंग, कमल गट्टा,सुपारी, कपूर. और हवन कुंड, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, शहद, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, लाल रंग की गोटेदार चुनरीलाल रेशमी चूड़ियां, सिंदूर, आम के पत?ते, लाल वस्त्र, लंबी बत्ती के लिए रुई या बत्ती, धूप, अगरबत्ती, माचिस, कलश, साफ चावल, कुमकुम,मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी/ तेल ,फूल, फूलों का हार, पान, सुपारी, लाल झंडा, लौंग, इलायची, बताशे या मिसरी, असली कपूर, उपले, फल व मिठाई, दुर्गा चालीसा व आरती की किताब,कलावा, मेवे, हवन के लिए आम की लकड़ी, जौ आदि।

कोरबा वनमंडल में घूम रहे 12 हाथी

कोरबा (आरएनएस)। वन मंडल कोरबा एवं कटघोरा में हाथी समस्या खत्म होने के बजाय और भी बढ़ता जा रहा है। कटघोरा के बाद अब कोरबा वनमंडल में भी हाथी सक्रिय हो गए है। कल तक कोरबा परिक्षेत्र में घूम रहे 12 हाथी बीती रात को कोरकोमा.दरगा से आगे बढ़कर बालको नगर वनपरिक्षेत्र की सीमा में प्रवेश कर गए। आज हाथियों को यहां के टापरा.मुड़धोवा जंगल में विचरण करते हुए देखा गया। हाथियों ने यहां पहुंचने से पहले रास्ते में कई किसानों की फसल रौंद दी। उधर कुदमुरा में बांसबाड़ी में विचरणरत चार हाथी आगे बढ़कर करतला क्षेत्र के जंगल में प्रवेश कर गए। इन हाथियों ने ब्लाक मुख्यालय के नजदीकी चांपा गांव में 9 किसानों की फसल रौंद दी है। हाथियों द्वारा फसल रौंदे जाने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। हाथियों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। आज सुबह वनविभाग का अमला हाथियों द्वारा किये गए नुकसानी का सर्वे करने के लिए पीड़ित गांव में पहुंचे और आंकलन का काम शुरू करने के साथ ही रिपोर्ट तैयार की। उधर कटघोरा वनमंडल के केंदई रेंज में अभी भी 8 हाथी जमे हुए है। हालाकि इन हाथियों ने अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और परला पहाड़ पर डेरा डाला है लेकिन देर सबेर उत्पात की संभावना को देखते वन अमला सतर्क हो गया है। अमले द्वारा हाथियों की लगातार निगरानी की जा रही है। क्षेत्र में मुनादी करा कर ग्रामीणों को सतर्क भी किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में 58 लाख 91 हजार परिवारों को निःशुल्क चावल का हो रहा वितरण

» प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मिला मात्र 51 लाख 20 हजार परिवारों के लिए आबंटन

» राज्य में आबंटन से अधिक चावल का वितरण जारी

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के 58.91 लाख परिवारों को मई 2021 से निःशुल्क चावल का वितरण किया जा रहा है, जो नवम्बर 2021 तक जारी रहेगा, जबकि भारत सरकार द्वारा राज्य के केवल 51.20 लाख अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क चावल का आबंटन दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्र से प्राप्त आबंटन से अधिक चावल का वितरण राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है तथा अतिरिक्त वितरण किए जा रहे चावल की सब्सिडी राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल राज्य के राशनकार्डधारी परिवारों को माह मई 2021 से नवंबर 2021 तक प्रति सदस्य 5 किलो चावल का अतिरिक्त आबंटन प्राप्त हुआ है जिसका वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 51.20 लाख राशनकार्ड में शामिल 2 करोड़ सदस्यों हेतु उपरोक्त चावल का आबंटन प्राप्त हुआ है जबकि राज्य में प्रचलित सभी 68.63 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य में 7.19 लाख राशनकार्ड अन्त्योदय योजना के तथा शेष 44.01 लाख राशनकार्ड प्राथमिकता वाले परिवारों को जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार अन्त्योदय परिवार के लिए प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न की पात्रता तथा प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों हेतु खाद्यान्न की मासिक पात्रता 5 किलो प्रति सदस्य निर्धारित है। उपरोक्त दोनों श्रेणी के राशनकार्डो के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह मई 2021 से लेकर माह नवंबर 2021 के प्रत्येक माह हेतु 1,00,385 टन चावल का अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किया जा रहा है, जिसका वितरण इन राशनकार्डो में शामिल सदस्यों को किया जा रहा है।

अन्त्योदय अन्न योजना के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को 35 किलो चावल की सामान्य मासिक पात्रता के अलावा इन राशनकार्डो में शामिल प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निर्धारित पात्रता अनुसार प्रत्येक माह सामान्य एवं अतिरिक्त आबंटन का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अन्त्योदय एवं सामान्य परिवार के लिए निर्धारित पात्रता तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त खाद्यान्न को जोड़कर प्रदेश के राशनकार्डधारियों को माह मई 2021 से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

राज्य में कोविड की द्वितीय लहर को देखते हुए गरीब एवं जरूरतमंद राशनकार्डधारियों को राज्य शासन द्वारा माह मई से नवंबर 2021 के दौरान चावल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है जबकि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य को इस अवधि के लिए जारी चावल की प्रदाय दर 3 रूपए प्रतिकिलो है। इस प्रकार राज्य शासन द्वारा माह मई से माह सितंबर 2021 तक वितरित निःशुल्क चावल पर 97 करोड़ रूपए की सब्सिडी दी जावेगी।

माह मई 2021 से लेकर माह सितंबर 2021 तक भारत सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल 10.78 लाख टन चावल के आबंटन में से 10.56 लाख टन चावल का वितरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल परिवारों को किया गया है। इसी अवधि में राज्य में प्रचलित अतिरिक्त राशनकार्डो पर 1.12 लाख टन निःशुल्क चावल का वितरण किया गया है, जिसका व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अलावा सामान्य एपीएल परिवारों को इस अवधि में 1.30 लाख टन चावल रियायती दर पर वितरित किया गया है, जिसकी सब्सिडी भी राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480